दैनिक भास्कर दि. ०७/०६/२५

3 आरोपियों पर लगा मकोका, तो 77 निर्वासित

भास्कर न्यूज, नांदेड़, परभणी | नांदेड़ जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उनके व्यवहार में सुधार न होने पर, दत्त नगर निवासी आरोपी गंगासागर उर्फ माया राधविंदर माथेकर, राघविंदर उर्फ राजू अशोक माथेकर, मोहम्मद आसिफ अली मोहम्मद असलम पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत काले के नेतृत्व में परभणी जिले के सभी थानों में बकरीद के संबंध में दर्ज मामलों में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत दिनांक 6 से 8 जून, 2025 तक कुल 77 आरोपियों को उनके संबंधित क्षेत्रों से निर्वासित किया गया है।

नांदेड़ जिले में पहली बार साहसिक कार्रवाई

▪ तीन के खिलाफ मकोका

नांदेड़ | शहर और जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस स्टेशन प्रभारियों को नांदेड़ जिले में आपराधिक अभिलेखवाले सक्रिय और दोहराव वाले अपराधियों की सूची तैयार करने एवं आरोपियों के खिलाफ निवारक उपाय करने के निर्देश दिए गए थे। नांदेड़ जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उनके व्यवहार में सुधार न होने पर, दत्त नगर निवासी आरोपी गंगासागर उर्फ माया राधविंदर माथेकर, राघविंदर उर्फ राजू अशोक माथेकर, मोहम्मद आसिफ अली मोहम्मद असलम पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। जिले के विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत अक्सर अपराध करने वाले 150 से अधिक अपराधियों के खिलाफ उनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कानूनों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने उक्त एमओसीए प्रस्ताव को मंजूरी देने की अनुशंसा की थी। आदेश जारी कर दिए गए हैं कि उक्त अपराध की जांच उपमंडल पुलिस अधिकारी डेनियल बेन को सौंपी जा रही है।

87 अपराधियों को किया था निर्वासित: जिले के सभी पुलिस थानों ने पिछले वर्ष 87 अपराधियों के खिलाफ निर्वासित की कार्रवाई की है। इसके तहत वर्ष 2024 में 13 पंजीकृत अपराधियों को जेल में भेजा गया है। चालू वर्ष 2025 में 10 पंजीकृत अपराधियों को जेल में भेजा गया है। वहीं, पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने वर्ष 2024-2025 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत कुल 87 अपराधियों को निर्वासित किया है।

यह है मामला: साथ ही, वर्ष 2025 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत कुल 10 अपराधियों को निर्वासित किया गया है। दत्त नगर निवासी तीन अपराधियों में गंगासागर उर्फ माया राधविंदर माथेकर, राघविंदर उर्फ राजू अशोक माथेकर, मोहम्मद आसिफ अली मोहम्मद असलम और विधिसंघर्षग्रस्त बालक तीन अन्य किशोरों ने 10 मार्च को शिवाजी नगर, नांदेड़ पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर सशस्त्र डकैती का अपराध किया था। इसके आधार पर पुलिस स्टेशन शिवाजीनगर में मामला दर्ज किया गया था।

चेकपोस्ट चालू और सोशल मीडिया पर नजर

परभणी | अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत काले के नेतृत्व में परभणी जिले के सभी थानों में बकरीद के संबंध में दर्ज मामलों में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत दिनांक 6 से 8 जून, 2025 तक कुल 77 आरोपियों को उनके संबंधित क्षेत्रों से निर्वासित किया गया है। बकरीद को देखते हुए जिले की सभी सीमाओं पर 24×07 चेकपोस्ट चालू कर दिए गए हैं। साथ ही, प्रत्येक थाना स्तर पर नाकाबंदी की जा रही है। प्रत्येक नाकाबंदी पर पशुओं के अवैध परिवहन के लिए वाहनों की भी जांच की जा रही है। साथ ही, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर धार्मिक विद्वेष पैदा करने वाला कोई भी टेक्स्ट, तस्वीर या वीडियो वायरल नहीं करने की अपील पुलिस ने की है।

पुलिस अधीक्षक ने दिए थे आदेश: पिछले कुछ वर्षों में बकरीद तथा पशु तस्करी एवं वध के संबंध में परभणी जिले में आरोपियों द्वारा अवैधानिक कृत्य किए गए हैं। उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे आगामी समय में त्योहार के दौरान फिर से इसी तरह के अवैधानिक कृत्य कर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करेंगे। इसलिए परभणी के पुलिस अधीक्षक रवीन्द्र सिंह परदेशी ने ऐसे आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर संबंधितों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।